पत्र संख्या–05/एफ–03/05/2023–5181/राँची, दिनांक–11/09/2023

झारखण्ड सरकार,गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत झारखण्ड अग्निशमन सेवा, राँची के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारियों से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) में दिनांक–03.10.2023 के 05:00 बजे अपराहन तक निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पद का नाम	पद संख्या		संविदा की अवधि	उम्र सीमा	मानदेय राशि	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी	03	अनारक्षित–02 अ0ज0जा0–01	01 वर्ष प्रारंभिक संविदा अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर इसका अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार अगले 01 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।	अधिकतम–60 वर्ष	रू0–62,800/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से (Advanced Diploma in Fire Engineering) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.E.(Fire) अथवा समकक्ष।
2	फायर स्टेशन ऑफिसर	33	अनारक्षित–14 आ0पि0वर्ग–03 अ0जा0–03 अ0ज0जा0–08 पि0वर्ग–I-03 पि0वर्ग–II-02	01 वर्ष प्रारंभिक संविदा अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर इसका अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार अगले 01 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।	अधिकतम–50 वर्ष	रू0–50,000/-	केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता होना अनिवार्य होगा।

2. इच्छुक अर्हताधारी अभ्यार्थी विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन भरकर संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, प्रोजेक्ट भवन, झारखण्ड, राँची–834004 के पते पर निबंधित पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

3. उपरोक्त अंकित पदाधिकारियों के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा, जिसमें साक्षात्कार स्थल, दिनांक एवं समय संबंधित सूचना Shortlisted अभ्यार्थियों को पत्र/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी।

4. यह सेवा 01 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर इसका अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकता है।

5. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। भविष्य में किसी प्रकार की नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. <u>चयन प्रक्रिया</u>

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। प्रस्तावित साक्षात्कार का पूर्णांक 100 होगा। जिसका वितरण साक्षात्कार में निम्नरूपेण किया जाएगा :–

<u>प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी–</u>

क्र0सं0	अंकों का वितरण		खंडवार अंक
01	साक्षात्कार (अग्निशमन सेवा एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा)		20 अंक
02	मैट्रीकुलेशन	प्रथम श्रेणी– 20	80 अंक
		द्वितीय श्रेणी– 18	
		तृतीय श्रेणी– 10	
	इन्टरमीडिएट	प्रथम श्रेणी– 20	
		द्वितीय श्रेणी– 18	
		तृतीय श्रेणी– 10	
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से (Advanced Diploma in Fire Engineering) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.E.(Fire) अथवा समकक्ष।	प्रथम श्रेणी– 40	
		द्वितीय श्रेणी– 34	
		तृतीय श्रेणी– 20	
	कुल		100 अंक

<u>फायर स्टेशन ऑफिसर–</u>

क्र0सं0	अंकों का वितरण		खंडवार अंक
01	साक्षात्कार (अग्निशमन सेवा एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा)		20 अंक
02	मैट्रीकुलेशन	प्रथम श्रेणी– 20	80 अंक
		द्वितीय श्रेणी– 18	
		तृतीय श्रेणी– 10	
	इन्टरमीडिएट	प्रथम श्रेणी– 20	
		द्वितीय श्रेणी– 18	
		तृतीय श्रेणी– 10	
	केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता होना अनिवार्य होगा।	प्रथम श्रेणी– 40	
		द्वितीय श्रेणी– 34	
		तृतीय श्रेणी– 20	
	कुल		100 अंक

7. कार्यक्षेत्र एवं दायित्व :–

<u>(क) प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी</u>

(i) एक प्रमण्डल के पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने अधीनस्थ जिला के अग्निशामालयों का प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्यो के साथ–साथ तकनीकी कार्यो का भी निर्वहन करेंगे। प्रमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत सभी National Building Code के अनुरूप सभी High Risk Fire Zone & Buliding को चिन्हित कर उनके अग्निसुरक्षात्मक व्यवस्था की जाँच करेंगे।

(ii) प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के रूप में अपने अधीनस्थों के अनुशासन पर नियंत्रण रखना।

(iii) राज्य सरकार एवं विभाग के स्तर से समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन।

<u>(ख) फायर स्टेशन ऑफिसर</u>

(i) अग्निशामालय के क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के अग्निशमन कार्यो का निष्पादन।

(ii) अग्निशामालय के क्षेत्रान्तर्गत आदेशानुसार फायर सेफ्टी ऑडिट करना।

(iii) अग्निशामालय के क्षेत्रान्तर्गत सभी National Building Code के अनुरूप सभी High Risk Fire Zone & Buliding को चिन्हित कर उनके अग्निसुरक्षात्मक व्यवस्था की जाँच करना।

(iv) अग्निशामालय में उपलब्ध सभी अग्निशमन संसाधन/उपकरणों को हर समय अच्छी कार्यशील अवस्था में बनाए रखने की जिम्मेवारी।

(v) अग्निशामालय प्रभारी के रूप में अपने अधीनस्थों के अनुशासन पर नियंत्रण रखना।

(vi) राज्य सरकार एवं विभाग के स्तर से समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन।

08. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 07 दिनों के अन्दर योगदान देना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का चयन कर योगदान के लिए अवसर दिया जायेगा।

09. साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार टी0ए0/डी0ए0 देय नहीं होगा।

10. चयन पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(रविशंकर विद्यार्थी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड, राँची

PR 306887 (Home)23-24*D